न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

कैम्प कार्ट :– ग्राम पंचायत झडवासा (न्याय आपके द्वारा अभियान 2017)

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर(आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 55 / 2017

उनवान

1. कैलाशी पत्नि,
2. बाबू,
3. चतरू,
4. काना, ना0बा0
5. लक्ष्मण, ना0बा0
6. कमलेश ना0बा0 पि. पांचू जाति नायक जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कैलाशी ग्राम झड़वासा तहसील नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

2. तुलसी,
3. लाडा पुत्री सोहन
4. रामदेव,
5. रोशन,
6. प्रेमशी,
7. सुमित्रा पिता पांचू जाति नायक नि. झड़वासा तह0 नसीराबाद हाल नि0 ग्राम झडवासा नसीराबाद

——परफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू.रा.अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 12.5.17

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के ख0न0 1997 रकबा 0.65 व 1999 रकबा 0.50 की आराजी वादीगण व परफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी काश्तकारी की है। जिनकी वास्तविक जाति नायक है किन्तु हाल जमाबंदी में उनकी जाति सारंगिया दर्ज कर दी है। जिका बंदोबस्त विभाग को काई हक अधिकार नही था। वादग्रस्त आराजी के खातेदार पूर्व में वादीगण के पूर्वज थे। उनको उक्त आराजी जरियें विरासत नामा0 संख्या 779 / 31.5.2016 से प्राप्त हुयी है।

अतः आराजी मुतनाजा पर वादीगण व परफोर्मा प्रतिवादीगण की जाति सारंगिया के स्थान पर नायक दर्ज की जावे।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : झडवासा

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज सोहन पुत्र सवाई के नाम दर्ज थी। उक्त जमाबंदी में भी खातेदार की जाति सारंगिया ही दर्ज थी। अतः हाल जमाबंदी में जाति गलत दर्ज नही है। साथ ही राज0 पैरोकार द्वारा वादग्रस्त आराजी की वंर्किग जमाबंदी भी पेश की गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। वादीगण ने परफोर्मा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा है। अतः उनकी तामीली की प्रकरण में आवश्यकता नही है। हाल जमाबंदी में वादीगण व परफोर्मा प्रतिवदीगण की जाति सारंगिया दर्ज है। राज0 पैरोकार द्वारा प्रस्तुत वंर्किग जमाबंदी में भी उनके पूर्वज की जाति सारंगिया ही दर्ज है। वादीगण का कथन है कि बंदोबस्त विभाग द्वारा उनकी जाति गलत अंकित की है। किन्तु राजस्व अभिलेख में उनकी जाति आरम्भ से ही सांरगिया ही दर्ज हे। वादी ने ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पेश नही किया है जिसमें उनकी/पूर्वज की जाति नायक दर्ज हो। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। बदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व इन्द्राज ही दोहराया गया है।

अतः ग्राम झडवासा के ख0न0 1997 रकबा 0.65 व 1999 रकबा 0.50 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्व्यं वहन करे। इस आशय कर पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2017 को कैम्प कोर्ट झडवासा में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट झडवासा

न्याय आपके द्वार 2017
कैम्प कार्ट :– ग्राम पंचायत झडवासा

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

कैलाशी बनाम राज0 सरकार वगै0

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955, व धारा 136 भू. राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 55 / 17
पेश करने की दिनांक – 13.4.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू सुश्री श्वेता कोचर (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम झडवासा के ख0न0 1997 रकबा 0.65 व 1999 रकबा 0.50 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्व्यं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक------ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 12 माह मई सन् 2017 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद